



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1996 (फाल्गुन 5, 1917)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1996 (PHALGUNA 5, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

डी इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कर्स एकाउन्टेन्ट्स

इण्डिया

कलकत्ता-700016, दिनांक 27 दिसम्बर 1995

सं. 11-सी. डब्ल्यू. आर. (155)/95—डी कास्ट एण्ड वर्कर्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1959 के नियम 11 के उप नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि (1) श्री टी. डी. रामचन्द्रन, बी. काम. बी. एल., ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., एच-82 5वां मैन रोड पेरियन नगर, इरोड-638001 (सदस्यता संख्या 4472) के प्रीक्टिस करने के प्रमाण पत्र को उनके अनुरोध पर 20 नवम्बर, 1995 से 30 जून, 1996 तक के लिये रद्द किया जाता है।

सं. 16 सी. डब्ल्यू. आर. (1200-1201)/95—डी कास्ट एण्ड वर्कर्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि डी कास्ट एण्ड वर्कर्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद् ने कास्ट एण्ड वर्कर्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. आर. मंहरा एफ. सी. ए., एफ. आई. सी. डब्ल्यू. ए., 56 दीरयागिज, दिल्ली-110002 (सदस्यता संख्या 379) 26 सितम्बर, 1995 से, और (2) श्री आर. कुण्डस्वामी वी. ए., ए. आई. सी. डब्ल्यू. ए., 13 वसन्त एपार्टमेंट, 154, रंग राजपुरम मैन रोड, मद्रास-600024 (सदस्यता सं. 1002) 2 जून, 1994 से, के नामों को उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया है।

एस. आर. आचार्य  
सचिव

एस. आर. आचार्य  
सचिव

- (ड) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत आन वालें मुद्दों,  
 (च) परिषद् द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले ऐसे ही अन्य कार्य ।

### 3. परिभाषा

इन विनियमों में प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हों :

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 1993 (1993 का 73),  
 (ख) "नियत दिन" का अर्थ है—धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के स्थापना की तारीख,  
 (ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है—धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) के अन्तर्गत नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष,  
 (घ) "क्षेत्रीय समिति" का अर्थ है—धारा 20 के अन्तर्गत स्थापित समिति,  
 (ङ) "संयोजक" का अर्थ होगा—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का ऐसा अधिकारी जिसे क्षेत्रीय समिति की बैठकों के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया हो;  
 (च) परिषद् के "सदस्य" का अर्थ होगा—अधिनियम की धारा 20 की उप धारा 3 के खंड (क) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में नामित सदस्य;  
 (छ) क्षेत्रीय समिति के "अध्यक्ष" का अर्थ है—अधिनियम की धारा 20 की उप धारा 4 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समिति की अध्यक्ष के रूप में परिषद् द्वारा नामित अध्यक्ष;  
 (ज) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 में परिभाषित और यहाँ परिभाषित न किए गए परन्तु इसमें प्रयुक्त सभी शब्दों और अभि व्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अर्थ उनका उक्त अधिनियम में है ।

4. परिषद् का सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समिति की बैठकों के लिए संयोजक मनोनीत करेगा । क्षेत्रीय समिति की बैठकों बुलाने, उनकी कार्य सूची तैयार करने तथा कार्यवृत्त तैयार करने के मामले में संयोजक क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के समग्र पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में काम करेगा ।
5. क्षेत्रीय समिति की हर बैठक संयोजक द्वारा जारी लिखित पत्र के माध्यम से बुलाई जाएगी । क्षेत्रीय समिति की बैठक बुलाने से संबंधित सूचना पत्र बैठक की तारीख से 15 दिन पहले क्षेत्रीय समिति के सभी सदस्यों को जारी किया जाएगा जिसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा ।
6. क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष क्षेत्रीय समिति की बैठक का समय, तारीख और स्थान निर्धारित करेगा ।
7. क्षेत्रीय समिति की बैठकों का संयोजक जब भी क्षेत्रीय समिति की बैठकों होंगी उनका कार्यवृत्त तैयार करेगा तथा कार्यवृत्त के प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के

पश्चात् उसे क्षेत्रीय समिति के सभी सदस्यों को परिचित करेगा ।

कार्यवृत्त के संबंध में यदि कोई टिप्पणी/संशोधन/आपत्ति प्राप्त होगी तो उसे क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के सम्मुख रखा जाएगा तथा अपनी राय (यदि कोई हो) सहित कार्यवृत्त को वह पूर्ण के लिए क्षेत्रीय समिति की परवर्ती बैठक में रखेगा । कार्यवृत्त के रिकार्ड के संबंध में यदि कोई आपत्ति होगी तो उसे परिषद् द्वारा नामित सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों/विद्वांसों के संबंध में प्रावधानों के अधीन क्षेत्रीय समिति की परवर्ती बैठक में हल किया जाएगा तथा नीचे दिए गए विनियम 8 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार निपटारा जाएगा ।

### 8. प्रक्रिया :

- (क) क्षेत्रीय समिति उपरिष्ठान सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों को ध्यान में रखकर सम्मति के आधार पर मुद्दों का निर्णय करेगी ।  
 (ख) परिषद् द्वारा निर्धारित मान्यता संबंधी पात्रता शर्तों व मानदण्डों तथा मानकों के अनुपयोग के निर्वाचन में के संबंध में बैठक में मतभेद होने की स्थिति में क्षेत्रीय समिति के संयोजक द्वारा मामलों परिषद् को भेजा जाएगा ।  
 (ग) उपरिष्ठान खंड (ख) के अन्तर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर मामला स्पष्टीकरण/निर्णय के लिए परिषद् के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, अध्यक्ष मामले को ऐसे गंभीरता से संभाल सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे ।

9. अध्यक्ष, एन.सी.टी.ई. परिषद् के नियुक्त नामितियों के क्षेत्रीय समिति की किसी खास बैठक में भाग लेने में जम्मेदार होने की स्थिति में या बैठक की किसी खास अवधि के दौरान परिषद् के किसी उच्च सदस्य व परिषद् के सदस्य के रूप में नामित करेगा ।

ह. /- (अपठनीय)

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1996

सं. एक. 28-5/95-एन.सी.टी.ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) की धारा 7 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 32 की उप धारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,

### 1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (परिषद् बैठकों तथा इस प्रकार की बैठकों के लिए कोरम से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 1995 होगा ।

ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

## 2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो :

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 की सं. 73) ।
- (ख) "परिषद्" का अर्थ है—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ।
- (ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है—परिषद् का अध्यक्ष ।
- (घ) "उपाध्यक्ष" का अर्थ है—परिषद् का उपाध्यक्ष ।
- (ङ) "सदस्य-सचिव" का अर्थ है—परिषद् का सदस्य-सचिव ।

## 3. परिषद् की बैठके :

- (1) अपने कार्यों के संबंध में परिषद् की उतनी बैठक होगी जितनी आवश्यक होगी परन्तु कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक अवश्य होगी ।
- (2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का स्थान निर्धारित करेगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित करेगा ।
- (3) जहां अध्यक्ष द्वारा सदस्य को अनुपस्थित रहने की मंजूरी लिखित में प्रदान की जाएगी उसे छोड़कर सदस्य परिषद् की सभी बैठकों में भाग लेंगा तथा उन प्रकार की बैठकों के लिए रूखी गई बैठक पूर्वाह्न पर हस्ताक्षर करेगा ।

## 4. बैठक की सूचना एवं कार्य सूची :

- (1) स्वस्थ सचिव द्वारा सभी सदस्यों को परिषद् की सभी बैठकों के संबंध में लिखित सूचना बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी ।
- (2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा तथा इसमें वे कार्य विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर बैठक में विचार किये जाने का प्रस्ताव होगा ।
- (3) बैठक के लिए एक अलग से कार्य सूची तैयार की जाएगी तथा सूचना पत्र के साथ या उसके तत्काल बाद सभी सदस्यों को भेजी जाएगी ।
- (4) अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति के बगैर बैठक में ऐसे मुद्दों पर विचार नहीं किया जाएगा जिसे बैठक के कार्यवृत्त में शामिल नहीं किया गया होगा ।

## 5. कोरम :

- (1) परिषद् की प्रत्येक बैठक में रिक्त पदों को छोड़कर कम से कम एक तिहाई सदस्यों का होना होगा ।
- (2) यदि किसी बैठक में किसी भी कारणवश कोरम पूरा नहीं हो तो 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद अध्यक्षता करने वाला सदस्य बैठक को उसी दिन उठने दंडे या अगले दिन किसी बूझते दिन के लिए

स्थगित कर देगा जिसे वह उपयुक्त समझे तथा उपस्थित सदस्यों को इस प्रकार के स्थगन की सूचना दी जाएगी तथा परिषद् के सूचना पट्ट में भी इसे लगाया जाएगा तथा कोरम पूरा होने की स्थिति में जिन मुद्दों पर मूल बैठक में विचार होगा उन्हें स्थगित बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा तथा कोरम के बगैर भी उन्हें निपटाया जा सकता है ।

## 6. आपात बैठके :

- (क) अध्यक्ष किसी भी समय अपने विवेक पर सूचना की अतिथि कम करते हुए ऐसे किसी तात्कालिक मामले पर विचार करने के लिए परिषद् की आपात बैठक बुला सकता है जिस पर इसका ध्यान देना जरूरी हो ।
- (ख) यदि अध्यक्ष को कम से कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक ऐसा मांग पत्र प्राप्त हो जिसमें उस प्रयोजन का उल्लेख हो जिसके लिए वे बैठक बुलाना चाहते हैं तो वह अपने विवेक पर तात्कालिकता की गुणवत्ता के आधार पर आपात बैठक बुलाएगा ।

## 7. बैठक के कार्यवृत्त :

- (1) परिषद् की प्रत्येक बैठक के ठीक बाद सदस्य सचिव बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा तथा उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले दूसरे सदस्य (जैसी भी स्थिति हो) को अगला आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त परिषद् के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणी (यदि कोई हो) के लिए परिचालित किया जाएगा ।
- (2) विनियम के उप विनियम (1) के अंतर्गत परिचालित कार्यवृत्त पुष्टि के लिए परिषद् के सम्मुख रखा जाएगा तथा परिषद् इसमें ऐसे संशोधन (यदि कोई हो) भी कर सकती है । जिसे वह उपयुक्त समझे । इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा यह संदर्भ और रिकार्ड के लिए रखी जाने वाली कम्प्यूटर मिसिलो व रजिस्टर का अंग होगा ।

सुरेन्द्र सिंह

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

दिनांक 29 दिसम्बर 1995

म. एफ. 28-11/95-एन.सी.टी.ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) की धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है ।

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi, the 26th December 1995

No. F.28—4/95-NCTE.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (0) of sub-section (2) of section 32 read with sub-section (7) of section 70 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Council hereby makes the following regulations for the procedure to be followed by the Regional Committees of the National Council for Teacher Education :

## 1. Short Title and Commencement :

- (i) These regulations will be called the National Council for Teacher Education (procedure to be followed by the Regional Committees) Regulations, 1995;
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

## 2. Applicability :

These regulations shall be applicable to the matters relating to :

- (a) consideration of applications for recognition under the Act from institutions offering courses or training in teacher education immediately before the appointed day;
- (b) consideration of applications for recognition from institutions intending to offer a course for training in teacher education;
- (c) consideration of applications for increase in the intake of students to the courses already included while granting recognition;
- (d) consideration of applications from recognised institutions for permission to start any new course or training in teacher education;
- (e) issues which fall under section 17 of the Act;
- (f) such other functions as may be assigned by the Council from time to time.

## 3. Definition :

In those regulations unless the context otherwise requires:

- (a) "Act means, National Council for Teacher Education Act 1993" (73 of 1993);
- (b) "Appointed day" means the date of establishment of the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 3;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Council appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 3;
- (d) "Regional Committee" means a committee established under section 20;
- (e) "Convenor" shall mean an officer of the National Council for Teacher Education nominated as Convenor of the meetings of the Regional Committee;
- (f) "Member" of the Council shall mean member nominated by the Council to the Regional Committee under clause (a) of sub-section 3 of section 20 of the Act;
- (g) "Chairperson" of the Regional Committee shall mean a Chairperson nominated by the Council under sub-section 4 of section 20 of the Act as Chairperson of the Regional Committee;
- (h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the National Council for Teacher Education Act 1993 (73 of 1993) shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

4. The Member Secretary of the Council shall nominate the Convenor for the meetings of the Regional Committee. The Convenor shall function under the overall supervision and guidance of the Chairman of the Regional Committee

in so far as matters relating to convening, preparation of agenda and preparation of the minutes of the meetings of the Regional Committee.

5. Every meeting of the Regional Committee shall be convened by a letter in writing issued by the Convenor. Notice convening meeting of the Regional Committee shall be issued to all Members of the Regional Committee 15 days prior to the date of the meeting indicating date, time and venue of the meeting.

6. Chairman Regional Committee shall fix the time, date and venue of the meeting of the Regional Committee.

7. The Convenor of the meetings of the Regional Committee shall draw up the minutes of the meeting of the Regional Committees whenever held and after obtaining approval to the draft of the minutes shall circulate the same to all members of the Regional Committee.

In case any comments/modifications/objections are received for the minutes, the same shall be placed before the Chairman of the Regional Committee and together with his/her views, if any, the minutes shall be placed before the subsequent meeting of the Regional Committees for confirmation. In the event of any objections to the record of the minutes, the same shall be resolved in subsequent meeting of the Regional Committee subject to the provisions in respect of objections/points raised by the member nominated by the Council and would be dealt as per provisions indicated in Regulation 8 below.

## 8. Procedure :

- (a) The Regional Committee shall decide issues by consensus after taking into account the view point of members present in light of rational presented in support thereof.
- (b) In the event of difference of opinion in the meeting on the interpretation of eligibility conditions for recognition and application of norms and standards laid down by the Council, the matter shall be referred to the Council by the convenor of the Regional Committee.
- (c) On receipt of reference in pursuance of clause (b) above, the matter shall be put up to the Chairperson of the Council for clarification/decision. Provided, however, the Chairperson may place the matter before the appropriate forum as deemed fit by the Chairperson.

9. The Chairperson NCTE shall nominate any other member of the Council to be its nominee, in the event of the appointed nominees of the Council being unable to attend any particular meeting or during any particular period in the meeting(s) of the Regional Committee.

SURENDRA SINGH  
Member Secretary

National Council for Teacher Education

New Delhi, the 10th January 1996

No. F. 28-5/95-NCTE.—In exercise of the powers conferred in clause (a) of sub-section (2) of Section 32 read with sub-section (1) of Section 7 of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, viz.

## 1. Short title and commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (procedure relating to meetings of the Council and quorum for such meetings) Regulations, 1995.

They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

## 2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Act" means the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993 (No. 73 of 1993).

- (b) "Council" means the National Council for Teacher Education.
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Council.
- (d) "Vice Chairperson" means the Vice Chairperson of the Council.
- (e) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Council.

### 3. Meetings of the Council

(1) The Council shall meet as often as may be necessary to transact its business but shall meet atleast once in a calendar year.

(2) The Chairperson shall fix the date, time and place of the meeting of the Council and approve the agenda for the meeting.

(3) A member shall attend all the meetings of the Council, save where leave of absence has been granted by the Chairperson in writing, and shall sign the meetings book kept for such meetings.

### 4. Notice of meeting and list of business

(1) A written notice for every meeting of the Council shall be given by the Member Secretary to all the members atleast fifteen days before the date fixed for the meeting.

(2) The notice shall state the place, date and time of the meeting and shall specify the business proposed to be transacted thereat.

(3) A separate agenda for the meeting shall be prepared and dispatched to all the members alongwith the notice or immediately thereafter.

(4) No business which is not on the agenda shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson or in his absence the Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be.

### 5. Quorum

(1) At every meeting of the Council at least one-third of the Members excluding the number of vacancies, shall form the quorum.

(2) If at any meeting the quorum is not available for any reason, the presiding member shall, after waiting for thirty minutes, adjourn the meeting to such hour on the same day or the following day or some other day as he may think fit and the notice of such adjournment shall be given to the members present, as well as affixed on the Notice Board of the Notice Board of the Council and business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum, shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed off irrespective of the quorum.

### 6. Emergent Meetings

(a) The Chairperson may call an emergent meeting of the Council at any time reducing the period of notice at his discretion to deal with any urgent matter requiring its attention.

(b) The Chairperson shall call an emergent meeting at his discretion on the merits of urgency if he receives a requisition in writing signed by not fewer than seven members and stating the purpose for which they desire the meeting to be called.

### 7. Minutes of the meeting

(1) Immediately after each meeting of the Council, the Member Secretary shall draw up the minutes of the meeting and submit the same to the Chairperson, Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be, for his approval for taking further necessary action. The minutes so approved shall be circulated to all the members of the Council for inviting comments, if any.

(2) The minutes circulated under sub-regulation (1) of Regulation 7 shall be placed before the Council for confirmation, and subject to such modifications, if any, as the Council may deem fit to be made therein. The minutes so approved shall be signed by the Chairperson or in his absence, the Vice Chairperson or the presiding member, as the

case may be, and may form a part of the computer files and the register to be maintained for reference and record.

**SURENDRA SINGH**  
Member Secretary  
National Council for Teacher Education

New Delhi, the 29th December 1995

No F. 28-11/95 NCTE.—In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the section 32 read with section 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations.

#### 1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (application for recognition the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.

#### 2. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires :—

- (i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).
- (ii) "New course or training in teacher education" means any course or training in teacher education which was not being offered by the institute at the time of recognition but is proposed to be offered by the recognised institution
- (iii) All other terms shall have the same meaning as contained in section 2 of the Act.

#### 3. Application for recognition

- (a) Every institution offering a course or training in teacher education immediately before the 17th August, 1995 shall make an application for recognition under the Act to the Regional Committee in the form given in Appendix I to these Regulations.
- (b) Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application for recognition under the Act in the form given in Appendix-I to these Regulations.
- (c) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.
- (d) Territorial jurisdiction of the Regional Committee is given in Appendix-II to these Regulations.

#### 4. Application for permission to start new course or training or increase in intake

- (a) Where any recognised institution intends to start any new course or training of in teacher education it shall make an application to the Regional Committee concerned in Appendix-I to these Regulations.
- (b) Where any recognised institution intends to increase its intake of students beyond the intake approved for such course or training, the recognised institution shall make an application to the Regional Committee concerned in Appendix-I to these Regulations.
- (c) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.
- (d) Territorial jurisdiction of the Regional Committee is given in Appendix-II to these Regulations.

#### 5. Manner of making application

- (a) Application for recognition in the Form given in Appendix I shall be made to the Regional Committee concerned.